कार्यालय जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक 09(C181a) सी0आर0ए0–शीतलहरी / 2017–18 दिनांक 04-12- 2017

01– भारती खादी ग्रामोद्योग संस्थान, कार्यालय– पी–52, पुष्पायन, नेहरू इन्कलेव, विश्वास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

02– प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0, घन्टाघर मेरठ।

03– मंत्री, क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम हापुड।

04– उ0प्र0 हस्तशिल्प, विकास एवं विपणन निगम लि0 लखनऊ।

05– प्रबन्धक, उ0प्र0 खादी स्मारक निधि खादी ग्रामोद्योग भवन, जी0 14–16 सै0–20, नोएडा।

06– प्रबन्धकयू0पी0 स्टेट हैण्डलूम, कार्पोरेशन लि0, सै0–21 नोएडा।

07– प्रबन्धक, यूपिका हैण्डलूम हाऊस, कलैक्ट्रेट कम्पाउन्ड(कैन्टीन) राजनगर गाजियाबाद।

विषयक– वर्ष 2017–18 में शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने हेतु कम्बल क्रय करने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक से सम्बन्धित प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ के पत्र सं0 1651 / 1–10–2017–12(34) / 03टी0सी0–1, दिनांक–16.11.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वर्ष 2017–18 में शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने हेतु जनपद को कम्बल क्रय करने हेतु निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ प्रति तहसील 5,00,000 रु0, इस प्रकार तीनों तहसीलों हेतु कुल 15,00,000 रु0(पन्द्रह लाख रुपये) की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें निम्न कार्य हेतु निविदा दिनांक–12.12.2017 के अपरान्हः 03:30 बजे तक आमंत्रित की जायेंगी, जो दिनांक–12.12.2017 को 4:00 बजे अपरान्हः क्रय समिति के समक्ष कलैक्ट्रेट स्थित अपर जिलाधिकारी(वि / रा) के कक्ष में खोली जायेगी।

कार्य का नाम	कम्बल का साईज / वजन / मूल्य	धरोहर धनराशि
कम्बलों की आपूर्ति हेतु(लागत 15 लाख रु0)	साईज 235X140 से0मी0 कम से कम, वजन–2.200 कि0ग्रा0 कम से कम, अधिकतम मूल्य–500 रु0 (कम से कम 70 प्रतिशत ऊन होना चाहिए, तथा पूराने यार्न का प्रयोग नही होना चाहिए)	रु0 30,000 / – बैंक ड्राफ्ट जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर के पक्ष में नोएडा को देय हो।

निविदा फार्म व शर्ते हमारी वेबसाईट **http://gbnagar.nic.in** से डाऊनलोड की जा सकती है, जिसके साथ निविदा फार्म का मूल्य रु0 100 / – का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा। कार्यालय से भी रु0 100 / – नगद जमा कर प्राप्त की जा सकती है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप नियत अवधि में इस कार्यलय से निविदा फार्म प्राप्त कर सकते हैं।

अपर जिलाधिकारी(वि / रा)
गौतमबुद्धनगर।

प्रतिलिपि– 01– जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

02– नाजिर सदर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

03– जिला सूचना अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वह दैनिक समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशन कराने का कष्ट करें।

अपर जिलाधिकारी(वि / रा)
गौतमबुद्धनगर।

Kambal Alav 66

निविदा प्रपत्र का मूल्य–100 रु0

कार्यालय जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक /दैवी आपदा अनुभाग/2017–18 दिनांक,

कम्बल आपूर्ति हेतु अल्पकालीन निविदा प्रपत्र

1 निविदादाता फर्म/व्यक्ति का नाम व कार्यालय का पता——————————

2 निविदादाता फर्म/व्यक्ति की वाणिज्य कर पंजीकरण संख्या——————————

3 निविदादाता फर्म/व्यक्ति का पैन नं0 ——————————

4 धरोहर राशि का विवरणः– धनराशि अंकों में ——————————

5 बैंक ड्राफ्ट सं0 ————दिनांक————बैंक का नाम————

6 आपूर्ति किये जाने वाले कम्बल से सम्बन्धित विवरणः–

(क) कम्बल की लम्बाई (कम से कम 235 से0मी0)——————————

(ख) कम्बल की चौडाई (कम से कम 140 से0मी0)——————————

(ग) कम्बल का वजन(कम से कम 2 किलो 200 ग्राम)——————————

(घ) कम्बल में ऊन का प्रतिशत (कम से कम 70 प्रतिशत)——————————

(ड) एक कम्बल का प्रस्तावित मूल्य(500 रु0 से अधिक न हो)——————————

निविदादाता की घोषणा

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गयी समस्त सूचनाऐं सत्य है, कोई भी तथ्य छिपाया नही गया है तथा मेरे द्वारा निविदा हेतु निर्धारित सभी शर्ते मान्य है।

स्थान–

दिनांक–

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता हेतु शर्ते

कम्बलों को कय करने हेतु शासनादेश के कम सं0 03 में निर्देश दिये गये हैं कि सूक्ष्य, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग–2 के शासनादेश सं0–8/2016/548/18–2–2016–12(एस0पी0)/2010, दिनांक–12.08.2016 जो कि सरकारी विभागों एवं शासकीय नियंत्रणाधीन उपकमों/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों/स्वयतशासी संस्थाओं(जिन्हें आगे केता एजेन्सी कहा गया है) द्वारा उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0, यूपिका, उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोधोग बोर्ड के माध्यम से उनके द्वारा वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्थाओं, श्री गांधी आश्रम तथा उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम(पूर्ववर्ती उ0प्र0 निर्यात निगम) के माध्यम से लघु एवं कुटीर तथा हथकरघा इकाईयों द्वारा उत्पादित वस्त्रों की कय अनिवार्यता के सम्बन्ध में है, में दिये गये निर्देशानुसार कम्बल आदि का कय सुनिश्चित किया जायेगा ।

1 यह निविदा शासनादेश सं0 1651/1–10–2017–12(34)/03टी0सी0–1, दिनांक–16.11.2017 के अन्तर्गत आमंत्रित की जा रही है, जिसमें उल्लिखित शर्तो का पालन करना होगा।

2 आपूर्ति किये जाने वाले कम्बलों का मूल्य 500/–रु0 प्रति कम्बल से अधिक नही होगा। कम्बल की लम्बाई कम से कम 235 से0मी0, चौडाई कम से कम 140 से0मी0 तथा वजन कम से कम 2 किलो 200 ग्राम होना चाहिए।

3 इन कम्बलों में कम से कम 70 प्रतिशत ऊन होना चाहिए, तथा पुराने यार्न का प्रयोग नही होना चाहिए। इस आशय का प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र संलग्न करना होगा।

4 आपूर्ति करने वाली संस्था/व्यक्ति को सभी कम्बलों पर टैग लगाना होगा, जिस पर सम्बन्धित संस्था का नाम, कम्बल की लम्बाई, चौडाई एवं वजन के साथ–साथ यह भी अंकित करना होगा कि कम्बल राजस्व विभाग–गौतमबुद्धनगर के सौजन्य से निशुल्क वितरित किया जा रहा है, जो बिकी के लिए नही है।

5 आपूर्तिकर्ता संस्था को आदेशानुसार कम्बल की आपूर्ति जनपद के तहसील मुख्यालय–दादरी, जेवर व सदर गौतमबुद्धनगर पर आदेश प्राप्त करने के 03 दिन के अन्दर करनी होगी, जिस पर होने वाले परिवहन व्यय का वहन उसके द्वारा स्वयं किया जायेगा।

6 निविदा डालते समय ही निविदादाता फर्म/व्यक्ति द्वारा कम्बल के चार–चार नमूने सी0आर0ए0 अनुभाग में जमा कराकर उसकी प्राप्ति की रसीद लेनी होगी। बिना नमूने जमा कराये प्रस्तुत की गयी निविदा स्वीकार नही होगी।

7 निविदादाता संस्था/व्यक्ति को इस आशय का प्रमाण पत्र भी निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा कि वह राज्य/केन्द्र सरकार की किसी ऐजेन्सी/विभाग द्वारा काली सूची (ब्लैक लिस्ट) में नही डाले गये हैं।

8 निविदादाता द्वारा निविदा प्रस्तुत करते समय फर्म के वाणिज्य कर रजिस्ट्रेशन, आयकर की तीन वर्ष की